भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1469

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

एनपीआर हेतु बायोमैट्रिक डाटा

†1469. श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने के लिए भारत के महापंजीयक (आरबीआई) के साथ बायोमीट्रिक डाटा साझा करने के लिए इन्कार कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी स्थिति में जहां यूआईडीएआई ने आरजीआई के साथ डाटा साझा करने से इन्कार कर दिया है, में एनपीआर हेतु लोगों के बायोमीट्रिक डाटा को कैप्चर करने पर खर्च होने वाली धनराशि का कोई अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सचिवों की समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार इस संबंध में महान्यायवादी की राय मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे पर महान्यायवादी का क्या सुझाव है; और

(घ) देश में बायोमीट्रिक डाटा इकट्ठा करने कार्य की पुनरावृत्ति पर धन की बर्बादी को रोकने के लिए और ऐसे डाटा को इकट्ठा करने के संबंध में शामिल एजेंसियों में बड़े सहायोग/साझेदारी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) : नागरिकता नियम, 2003, जिसके अधीन जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, में बायोमीट्रिक्स की आवश्यकता का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) : वर्ष 2011 में यह अनुमान लगाया गया था कि यदि जनसंख्या रजिस्टर के लिए बायोमीट्रिक के आंकड़े लिए जाएंगे तो इसकी लागत लगभग 6650 करोड़ रु. आएगी।

(ग) और (घ) : उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेशों के परिपेक्ष्य में महान्यायवादी की राय ली गई थी, जोकि आधार (वित्तीय एवं अन्य छूटों, लाभों और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) अधिनियम, 2016 के अधिनियमन की दृष्टि से अब प्रासंगिक नहीं है। सरकार सार्वजनिक धन के व्यय के मामले में दूरदर्शिता बरतने और उसकी बर्बादी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।